अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में आयोजित प्रिट कार्यकारिणी समिति की सप्तम् बैठक का कार्यवृत

दिनांक– 22 फरवरी, 2022
स्थानः पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ।
समयः अपराह्न 03:00 बजे।

दिनांक 22.02.2022 को अपराह्न 03:00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) कार्यकारिणी समिति की सप्तम् बैठक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ के राभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव /अध्यक्ष, प्रिट	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.	श्री अनुज कुमार झा	निदेशक/उपाध्यक्ष, प्रिट एवं निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।	पंचायती राज, उ0प्र0।
3.	श्री ऋषिकेश दूबे	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	प्रतिनिधि नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
4.	श्री डी0सी0 उपाध्याय	अपर निदेशक	प्रतिनिधि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
5.	श्री रमाशंकर शुक्ल	निदेशक	पंचायती राज लेखा, उ0प्र0।
6.	श्री ब्रजेश कुमार	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज निदेशालय।
7.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	संयुक्त निदेशक, 'प्रिट' एवं उपनिदेशक (पं0)	पंचायती राज, उ0प्र0।
8.	श्री प्रदीप कुमार	वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रिट	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)
9.	श्रीमती पियूष एंटोनी	सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट	विशेष आमंत्री, यूनिसेफ।
10.	डॉ0 के0एस0 राव	एसोसिएट प्रोफेसर	विशेष आमंत्री, जी.आई.ओ.एस. लखनऊ।
11.	श्री के0सी0 श्रीवास्तव	अधीक्षण अभियंता	प्रतिनिधि, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
12.	श्री सुशील कुमार	मुख्य अभियंता	प्रतिनिधि, यू.पी.सिडको।
13.	सुश्री अंजली दत्ता	स्टेट कंसल्टेन्ट	प्रतिनिधि, सी3

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 समिति द्वारा बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिए गये:–

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
01	प्रिट कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	मा0 समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 03.07.2020 के कार्यवृत्त को यथावत् अनुमोदित किया गया तथा गत बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन से समिति अवगत हुई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि हाउस कीपिंग तथा भोजन व्यवस्था हेतु पृथक–पृथक आउटसोर्सिंग एजेन्सियों का चयन निविदा के माध्यम से किया जाए।
02	वित्तीय वर्ष 2020–21 व वर्ष 2021–22 में प्रिट में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन।	मा0 समिति अवगत हुई कि प्रिट द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 व वर्ष 2021–22 में 02 वर्चुअल प्रशिक्षण एवं 07 फिजिकल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्चुअल प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 2300 प्रतिभागियो एवं फिजिकल प्रशिक्षण के माध्यम से 61,075 कुल 63,375 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। मा0 समिति द्वारा यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
03	प्रिट द्वारा वर्ष 2022–23 में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्ताव।	मा0 समिति वर्ष 2022–23 में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना से अवगत हुई। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्सपोजर विजिट को भी सम्मिलित किया जाए। प्रदेश की जिस ग्राम पंचायत अथवा प्रदेश के बाहर की ग्राम पंचायत जहां बेहतर कार्य कराया गया हो उन स्थानों पर अधिकारियों एवं निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सपोजर विजिट कराया जाए। एक्सपोजर विजिट में ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाए जहां सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट प्रबंधन एवं ग्राम पंचायत सचिवालय के कुशल संचालन के सम्बन्ध में बेहतर कार्य किया जा रहा हो। मा0 समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु आर.जी.एस.ए. की गाइडलाइन के अनुसार मुख्यालय स्तर/राज्य स्तर पर रु0 1900/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन, मण्डल/जनपद स्तर पर रु0 1100/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन, एवं विकास खण्ड स्तर पर पर रु0 800/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
04	वित्तीय वर्ष 2020–21 व वर्ष 2021–22 में प्रिट में प्राप्त एवं व्यय धनराशियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	मा0 समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 में निम्नवत् प्राप्त एवं व्यय धनराशियों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

वर्ष 2020–21

(धनराशि रूपये में)

अ–प्रिट में प्राप्त धनराशि का विवरण					
क्र. सं.	गत वर्ष का अवशेष	राज्य वित्त आयोग	आर0जी0 एस0ए0	अन्य	योग
1.	26,65,94,687	8,30,01,767	5,02,992	1,17,73,310	36,18,72,756

ब–प्रिट में व्यय धनराशि का विवरण

क्र. सं.	वेतन मानदेय मद से व्यय	कार्यालय मद से व्यय	विद्युत / अनुरक्षण मद से व्यय	प्रशिक्षण पर व्यय	योग
1.	70,94,767	11,97,216	2,28,62,706 (विवरण संलग्नक–4)	कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं हुआ	5,10,43,039
	प्रिट में अवशेष धनराशि (अ–ब)				**31,08,29,717**

नोट :– जनपद–बलिया में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के लिए कार्यदायी संस्था को रू0 1,98,88,350/– प्रशिक्षण मद से हन्तान्तरित किया गया है।

वर्ष 2021–22

अ–प्रिट में प्राप्त धनराशि का विवरण

क्र. सं.	गत वर्ष का अवशेष	राज्य वित्त आयोग	आर0जी0 एस0ए0	अन्य	योग
1.	**31,08,29,717**	6,58,79,900	48,68,42,000	2,20,39,084	88,55,90,701

ब–प्रिट में व्यय धनराशि का विवरण

क्र. सं.	वेतन मानदेय मद से व्यय	कार्यालय मद से व्यय	विद्युत / अनुरक्षण मद से व्यय	प्रशिक्षण पर व्यय	योग
1.	55,15,360	16,46,189	1,50,62,996 (विवरण संलग्नक–5)	15,52,26,125	17,74,50,670
	प्रिट में अवशेष धनराशि (अ–ब)				**70,81,40,031**

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
05	प्रिट कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2020 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हेतु अनुमोदित 11 पदों की निरंतरता के संबंध में प्रस्ताव	मा0 समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2020 के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–06 पर अनुमोदित आउटसोर्सिंग के विभिन्न संवर्ग के 11 पदों की निरंतरता निदेशक, प्रिट द्वारा ही बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
06	प्रिट के संचालन हेतु केनरा बैंक, अलीगंज, लखनऊ में स्थित बैंक के स्थान पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ में खोले गये नवीन बैंक खाते की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव	मा0 समिति द्वारा आई.सी.आई.सी.आई बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ में खोले गये नवीन बैंक खाते का अनुमोदन प्रदान किया गया।
07	प्रिट में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव	मा0 समिति द्वारा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों जिनके द्वारा प्रिट में तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी है परन्तु तीन वर्षों में उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुए है। ऐसे कार्मिकों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
08	जनपद बलिया व कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज	मा0 समिति निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बलिया व कन्नौज की प्रगति से अवगत हुई।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाना।	जनपद बलिया हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निमार्ण कार्य हेतु निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के समय जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू नहीं थी। दिनांक 01.07.2017 के पश्चात जी.एस.टी. लागू होने से नियमानुसार जी.एस.टी. की धनराशि जमा की गई है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा जमा की गई जी.एस.टी. की धनराशि तथा मिट्टी भरायी की धनराशि की मांग की गई। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जी.एस.टी. की देयता तथा मिट्टी भरायी की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करने के निर्देश दिये गये। कन्नौज हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू.पी. सिडको के प्रतिनिधि द्वारा चतुर्थ किश्त की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यदायी संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त चतुर्थ किश्त का भुगतान किया जाए। मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
09	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों को अन्य योजनाओं की भांति आकस्मिक अवकाश की सुविधा को अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 समिति द्वारा प्रिट में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष मे 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा 07 दिवस का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं तथा प्रिट में आउटसोर्सिंग व संविदा पर कार्यरत कार्मिकों हेतु एच.आर. पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिये गये। मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
10	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) हेतु विभिन्न विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षको का रिसोर्स पूल तैयार कर इम्पैनल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 समिति द्वारा प्रिट में इम्पैनल्ड रिसोर्स पर्सन जिसके अन्तर्गत एन.आई.आर.डी.पी.आर. द्वारा प्रमाणित ग्रेड–ए के ट्रेनर्स/रिसोर्स पर्सन, राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों यथा–एस.आई.आर.डी./आर.आईआर.डी./डी.आई.आर.डी., यूनिसेफ, आई.एफ.एम.टी.आर आदि अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के फैकल्टी एवं विशिष्ट वार्ताकारों/विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण हेतु रु0 2000/– प्रति वार्ता मानदेय तथा एन.आई.आर.डी.पी.आर. द्वारा प्रमाणित ग्रेड–बी ट्रेनर्स/रिसोर्स पर्सन तथा अन्य प्रशिक्षकों एवं राज्य स्तरीय सलाहकार (गैर तकनीकी व तकनीकी) तथा प्रिट स्तर से नामित कुशल एवं अनुभवी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु रु0 1250/– प्रति दिवस मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
11	शासनादेश संख्या–98/2016/2698/33–3–2016–158/2015 दिनांक 05.12.2016 द्वारा सृजित	मा0 समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 05.12.2016 के अन्तर्गत सृजित सीधी भर्ती के 08 पदों को भरने हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	सीधी भर्ती के पदों को भरने हेतु अधियाचन भेजने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	अधियाचन भेजने की अनुमति प्रदान की गई।
12	विशिष्ट अतिथि गृह के मरम्मत के लिए अनुरक्षण मद से व्यय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 समिति द्वारा विशिष्ट अतिथि गृह के मरम्मत के लिए अनुरक्षण मद से वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
13	उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह के अवसर पर आयोजन में हुए व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव	मा0 समिति द्वारा उ0प्र0 ग्राम उत्कर्ष समारोह के आयोजन में हुए व्यय के सापेक्ष रु0 2,07,24,662/– की धनराशि की प्रतिपूर्ति जिलाधिकारी लखनऊ को करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
14	ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म सर्वर पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में प्रस्ताव	मा0 समिति अवगत हुई कि जी.आई.जेड. (जर्मन कॉर्पोरेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) संस्था के सहयोग से विभाग हेतु जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। उक्त हेतु लिये जाने वाले सर्वर पर होने वाले व्यय लगभग रु0 1.00 लाख मासिक व्यय एवं एक वर्ष के लिए रु0 12.00 लाख के व्यय की स्वीकृति वित्तीय नियमों के अन्तर्गत प्रदान की गई। मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
15	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	–

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रवीणा चौधरी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
(प्रिट)।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक/उपाध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
(प्रिट)।

Manoj 27.2.22
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
(प्रिट)।

संख्या–प्रिट/ 42 /2022–3/72/2019 दिनांक-28फरवरी, 2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब लखनऊ।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज लेखा, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

(प्रवीणा चौधरी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
'प्रिट'